कार्यालय मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

(वन विभाग, म.प्र. शासन)

ऊर्जा भवन, लिंक रोड क्रमाँक दो, शिवाजी नगर, भोपाल

दूरभाषः 0755-2768798 एवं 2768805,ई-मेल- mpecotourism@mp.gov.in, mpecotourism@gmail.com

क्रमाँक/ईकोबोर्ड/2022/ 01 भोपाल, दिनाँकः 04-01-22

प्रति,

प्रबन्ध निदेशक

मध्यप्रदेश माध्यम

अरेरा हिल्स, भोपाल

विषयः— बोर्ड का विज्ञापन समाचार प त्रों में प्रकाशित करने बावत् ।

कृपया संलग्न विज्ञापन को भोपाल से प्रकाशित होने वाले अधिकतम सर्कुलेशन वाले एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 05.01.2022 को प्रकाशित करने का कष्ट करें । विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है ।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

4/1/22

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
पदेन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी संरक्षण)

o/c

MPEDB

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड
ऊर्जा भवन, लिंक रोड क्र. 2, शिवाजी नगर, भोपाल

ई–टेण्डर नोटिस

बोर्ड कार्यालय के उपयोग हेतु 01 वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर, किराये पर एक महिन्द्रा थार पेट्रौल जीप, वाहन मॉडल 2021 की आवश्यकता है। अनुबंध हेतु शर्तें व विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.mpecotourism.org एंव https;//mptenders.gov.in. से दि. 18.01.2022 अपरान्ह समय 4.00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

---

e-mail (04/01/2022)

म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड कार्यालय में वाहन महिन्द्रा थार पैट्रोल मॉडल–2021 मासिक किराये (एक वर्ष हेतु) पर लेने हेतु नियम एवं शर्तें।

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास कार्यालय को एक महिन्द्रा थार पैट्रोल मॉडल 2021 एक वर्ष हेतु मासिक किराये पर लेने की आवश्यकता है। नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

नियम/शर्तें :–

1. महिन्द्रा थार को किराये पर लिया जाना है वाहन चालक सहित (मॉडल LXP CT AT को प्राथमिकता दी जायेगी)।
2. वाहन में पेट्रौल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
3. सफल निविदाकार संस्था को उनके द्वारा दिये गये ऑफर को वापिस लेने अथवा शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। कार्य आदेश जारी होने के उपरांत यदि निविदाकर्ता संस्था बोर्ड के साथ अनुबंध नहीं करती है तो इसकी धरोहर राशि (EMD) रूपये **20,000/–(रूपये बीस हजार रुपये मात्र) जब्त कर ली जावेगी।**
4. धरोहर राशि पर किसी भी तरह का कोई ब्याज देय नही होगा।
5. निविदाकर्ता संस्था का वैध जीएसटी नम्बर एवं स्थाई आयकर लेखा संख्या होना अनिवार्य है, जिसे निविदा के साथ प्रदाय किया जाना आवश्यक है। वैध दस्तावेज न होने की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदाकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेन्स होना अनिवार्य है।
7. भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार के टोल टैक्स एवं पार्किग शुल्क का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
8. वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटें में होना अनिवार्य है तथा देश/प्रदेश में कही भी आने–जाने का परमिट हो।
9. वाहन के टायर ट्यूब अच्छी कंडीशन के तथा माइलोमीटर हमेशा ठीक हालत में होना अनिवार्य है।
10. किराये पर लिये गये वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना, तोड–फोड होने पर वाहन प्रदायकर्ता संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी एवं समस्त खर्चे का वहन वाहन प्रदायकर्ता संस्था को करना होगा, यदि किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाते हे तो आदेश के पालन की संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदायकर्ता संस्था की होगी।
11. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रखरखाव (मरम्मत) की जिम्मेदारी निविदाकर्ता संस्था की होगी।
12. वाहन चालक को वाहन की डयूटी स्लिप अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से वाहन की मीटर रीडिंग का, प्रतिदिन की गई यात्रा के अनुसार, प्रमाणीकरण डयूटी स्लिप में कराना होगा। देयक (उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित) प्रस्तुत करते समय डयूटी स्लिप की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदाकर्ता इकाई के वाहन चालक के पास वैध कमर्शियल लायसेंस एवं पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
14. वाहन एवं वाहन चालक का बीमा होना अनिवार्य है।

15. वाहन चालक की न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा वह मेडिकली फिट होना चाहिये।
16. वाहन चलाते समय वाहन चालक वर्दी में होना चाहिए। वाहन चालक उपयुक्त न होने पर अथवा उसका व्यवहार ठीक न होने पर निविदाकर्ता इकाई द्वारा उसे बदला जायेगा।
17. वाहन किराये की दरो में समस्त कर सहित, समस्त टैक्स आदि शामिल हो।
18. मरम्मत, सुधार कार्य, टायर–ट्यूब, बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
19. किराये पर लिए गए वाहन की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन बोर्ड कार्यालय से हटाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को होगा।
20. किराये का भुगतान देयक प्राप्त होने पर बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रतिमाह किया जावेगा।
21. यह अनुबंध सेवाएँ संतोषजनक पाए जाने पर आगे भी बढाया जा सकेगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
23. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जावें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी संरक्षण)

म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड कार्यालय में एक वाहन महिन्द्रा थार पैट्रौल मॉडल–2021 (एक वर्ष हेतु)

(मॉडल LXP CT AT को प्राथमिकता दी जायेगी)। मासिक किराये पर लेने हेतु प्रपत्र

प्रपत्र

संस्था का नाम : ....

संस्था का जीएसटी नम्बर : ....

संस्था का पेन नंबर : ....

1. निविदा के साथ प्रस्तावित वाहन के पंजीयन/बीमा आदि संबंधी समस्त दस्तावेज़ की छांयाप्रतियाँ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

क्र.	विवरण	इकाई	प्रस्तावित दर अंको में एवं शब्दों में	रिमार्क
1.	मासिक किराया (महिन्द्र थार)	मासिक	रुपये	
2.	पंजीयन वर्ष मॉडल	वर्ष		

दिनाँक ....

हस्ताक्षर ....

नाम निविदाकर्ता ....

संस्था का नाम ....

पता :– ....